



270

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनर्विलोकन ईमू. 3182-ग्व। 14

मान्त्रिलेख
द्वारा आज दि. 19-9-14 को
प्रस्तुत

बट्टा 19-9-14
वल्के औफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19-9-14

जाहर सिंह पुत्र बहादुर सिंह लोधी,
निवारी- ग्राम धुवारा, तहसील बड़ा
मलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- जमनाप्रसाद चौबे तनय रामनाथ चौबे
- 2- रामसीवन तनय सुखनंदन असाठी
- 3- लखन नामदेव तनय रामप्रसाद नामदेव
- 4- जगदीश तनय पूरनलाल राय
- 5- मिजाजीलाल तनय हरप्रसाद असाठी
- 6- श्रीमती कमलाबाई पत्नी काशीराम सूत्रकार
सभी निवारी- ग्राम धुवारा, तहसील
बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
आदेश दिनांक 16.06.2014 श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल,
ग्वालियर द्वारा निगरानी क्र. 3748-दो/2012 पुनर्विलोकन किए जाने
हेतु।



यहकि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक
जमनाप्रसाद चौबे द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र तहसील
न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम धुवारा रियत भूमि ख.नं.
589/8 रकबा 0.324 की तरमीम पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा
वर्तमान नवशे में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तने

19-9-14

Roz 31/82 III/14 बिला

T-9-16.

ग्रावरेंज द्वारा आवश्यक
 रुपये का। ३१८ रुपये रुपये
 रुपये ४२५ रुपये ५०० रुपये
 रुपये ५७२७ रुपये ५२५
 रुपये २१५५ रुपये ३०० रुपये
 रुपये ३०० रुपये ३०० रुपये
 रुपये ३०० रुपये ३०० रुपये
 रुपये ३०० रुपये ३०० रुपये

Roz